न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

क्रमांक /रीडर/2014/ 1505

दिनांक 18/07/2014
21

तहसीलदार
तहसील मनोहरथाना

विषय :– प्रकरण संख्या 09/अपील/2014

उनवान :–1. नारायण पुत्र केशा जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना।

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत टोडरी मीरा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना।
2. कमलीबाई पुत्री केशा जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा हाल मुकाम बटावदा तहसील कुम्भराज जिला गुना (मध्यप्रदेश)।

--रेस्पोंडेण्ड

विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 13/3/2014 की फोटो प्रति संलग्न पत्र प्रेषित है कृपया निर्णय अनुसार पालना की जाकर इस न्यायालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– निर्णय प्रति तीन प्रतियो में

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

निर्णय बइजलास श्री रामकिशोर मीणा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

प्रकरण संख्या 09/अपील/2014 तारीख दायरा 20/01/2014

उनवान :–

1. नारायण पुत्र केशा जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना।

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत टोडरी मीरा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना।
2. कमलीबाई पुत्री केशा जाति लोधा निवासी टोडरी मीरा हाल मुकाम बटावदा तहसील कुम्भराज जिला गुना (मध्यप्रदेश)।

–रेस्पोंडेण्ड

अपील इन्तकाल नम्बर 661/20.6.2009 ग्राम पंचायत टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना

उपस्थिति :– श्री कैलाश चन्द वैष्णव वकील (वादी)

निर्णय दिनांक 13.03.2014

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना के माल की खसरा नम्बर 42 की 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 की 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 की 1 बीघा 17 बिस्वा , खसरा नम्बर 226 की 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 326 की 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 335 की 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 517 की 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 की 1 बिस्वा खसरा नम्बर 755 की 6 बिस्वा खसरा नम्बर 1161 की 5 बीघा 3 बिस्वा 1204 की 2 बीघा कुल 11 किता की 22 बीघा आराजी खातेदार नारायण पुत्र केशा, कमली पुत्री केशा के शामलाती खाते मे दर्ज है।

ग्राम पंचायत टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना मे खतोनी संख्या नई 123 पुरानी 121 की कुल 11 किता की 22 बीघा 1 बिस्वा आराजी मे कमली पुत्री केशा ने मुताबिक रिलीज डिड के आधार पर अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा त्यागकर अपने भाई नारायण के नाम कर दी है। ग्राम पंचायत टोडरी मीरा ने इन्तकाल नम्बर 661 को कानून के खिलाफ एवं पत्रावली संग्रह ...ार के सर्वथा विपरीत कमलीबाई पुत्री केशा के रिलीजडीड के आधार पर अपने भाई नारायण के नाम इन्तकाल ना खोलकर कानूनी भूल की है एवं इन्तकाल खारिज कर निरस्त किया गया ... जो गैर कानूनी है। खातेदार कमलीबाई पुत्री केशा ने सम्पूर्ण आराजी का 1/2 हिस्सा अपने ...ाई नारायण के नाम हकत्याकर रिलीज डीड करवा दी थी जिसके आधार पर अपीलान्ट ने ...ाम पंचायत टोडरी मीरा ने अपने नाम कमलीबाई का हिस्सा दर्ज करवाने एवं अपने इन्तकाल ...ुलवाने एवं ग्राम पंचायत टोडरी मीरा द्वारा गलत तरीके खोलने से ग्राम पंचायत की त्रृटि है ...र इन्तकाल दुरूस्त होने योग्य है।

इन्तकाल नम्बर 661 का ज्ञान 20.6.2009 को हुआ जब अपीलान्ट इन्तकाल की नकल ...ने गया व नामान्तरण की नकल प्राप्त हुई तो ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत टोडरी मीरा ने ...तकाल नम्बर 661 गलत तरीके से खारिज व निरस्त कर दिया है। फिर अपीलान्ट बीमार हो ...ा एवं बाहर चला गया अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ड को जर्ये नोटिस तलब ...या गया तथा सुनवाई की तारीख दिनांक 6.2.2014 नियत कीर गई। रेस्पोंडेण्ड नम्बर 1 व2

...धिकारी
...ाना

Scanned by CamScanner

स्वंय उपस्थित हुये तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया समय दिया गया तथ पत्रावली ... नियत तिथि 6.3.2014 नियत की गई। रेस्पोंडेण्ड 1 व 2 ने नियत तिथि को न तो उपस्थित हुये ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया रेस्पोंडेण्ड को तीन बार आवाज दिलाई गई बावजूद आवाज अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। तथा पत्रावली एक तरफा बहस मे रखी गई।

वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा पाया की कमलीबाई द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे जो रीलीज डीड करवाई गई है व कानूनन सही प्रतीत होती है। क्योंकि रीलीज डीड अथवा रजिस्टी गवाहो के समक्ष उपपंजीयक द्वारा सभी तरह की कानूनी जानकारी के पश्चात ही क्रेता विक्रेता की मोजूदगी मे प्रत्यक्षत की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा यह कहना कि रीलीजडीड फर्जी है तथा फोटो सत्यापित नही होता यह निर्णय ग्राम पंचायत टोडरी मीरा का कतई असवैधानिक एवं गैर कानूनी है। अगर ग्राम पंचायत को रीलीजडीड इन्तकाल खोलते समय फर्जी होना या अन्य कोई सन्देह होना प्रतीत होता तो व यथा समय सिविल न्यायालय मे या अन्य किसी न्यायालय मे वाद ला सकती थी जो नही ला सकी ग्राम पंचायत टोडरी मीरा का दिनांक 20.6.2009 को इन्तकाल नम्बर 661 पर दिया गया निर्णय खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है। तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोडरी मीरा तहसील मनोहरथाना का नामान्तकरण संख्या 661 दिनांक 20.6.2009 को ग्राम पंचायत टोडरी मीरा ने खारिज करने का आदेश दिया उसे बेअसर घोषित किया जावे और अपीलान्ट के रीलीजडीड पत्रांक 10.6.2009 के आधार पर पुन नामान्तकरण खोलने का आदेश दिया जाता है। बाद नामान्तकरण अपीलान्ट के राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना
मनोहरथाना

आज दिनांक 13/03/2014 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner